रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235570
SG-DL-E-05052022-235570

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 54
No. 266]	DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944	[N. C. T. D. No. 54

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2022

सं. फा. 1./डीईजी(3)/आरआर/2019/600.—भारत का राजपत्र असाधारण के भाग–II, खण्ड–3 के उप–खण्ड (i) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना का.आ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 26 सितम्बर 1997 की अधिसूचना सं. फा. 9(183)/91–एसबी/21274 एवं दिनांक 22 अप्रैल 2019 की सं.फा. 9(183)/आरआर/एसबी/डीटीटीई/2013/677 द्वारा अधिसूचित प्रधानाचार्य, कला महाविद्यालय के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के साथ प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(i) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रधानाचार्य कला महाविद्यालय भर्ती नियमावली , 2022 कहा जायेगा।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा अन्य योग्यता** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं कि सीभी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से कि सीभी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **बचावः**–इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुलग्नक–I

1.	**पदनाम**	:	**प्रधानाचार्य**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (2020)* *इसमें परिवर्तन कार्य भार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा (जीसीएस) समूह ''क'' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 14, प्रविष्टी वेतन– 1,44,200/–, विशेष भत्ता– 6750/–रूपये सहित ।
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर–चयन पद है**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित** प्रधानाचार्य की नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष के लिए संविदात्मक स्वरूप की होगी तथा प्रदर्शन के आधार पर उसे एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
11.	**यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/प्रशासन /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान /स्वायत्तनिकाय/ सांविधिक संगठनों **के** निम्नलिखित अधिकारीः– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (2) स्तर–13ए1 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष ।

			तथा (ख) निम्नलिखि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वालेः– (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से ललित कला की सुसंगत शाखा (अनुप्रयुक्त कला, पेंटिंग , मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, दृश्य संचार तथा कला इतिहास) में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी सहित अथवा दो डिग्रियों में किसी एक में समकक्ष : तथा (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से सुसंगत विषय में पीएचडी (अनुप्रयुक्त कला, पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट में किंग, दृश्य संचार तथा कला इतिहास) : तथा (3) पर्यवेक्षक /सह–पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम दो सफल पीएचडी मार्गदर्शन तथा पत्रिकाओं की अनुमोदित सूची एससीआई पत्रिका / यूजीसी /एआईसीटीई में कम से कम आठ अनुसंधान प्रकाशन । **अनुभव :** अध्यापन /अनुसंधान /उद्योग में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्रोफेसर के समकक्ष पद का हो । **टीप– 1** यदि श्रेणी/डिविज़न नहीं दी गई है तो कुल योग में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिविज़न के समकक्ष माना जाएगा। यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई गई है, तो संचित ग्रेड पाइंट औसत (सीजीपीए) को समकक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाएगा। **ग्रेड प्वाइंट — अंकों का प्रतिशत** 6.25 — 55 प्रतिशत 6.75 — 60 प्रतिशत 7.25 — 65 प्रतिशत 7.75 — 70 प्रतिशत 8.25 — 75 प्रतिशत **टीप 2**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व धारित किसी अन्य गैर–संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को अठावन (58) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	**यदि कोइ विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	लागू नहीं
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. एलिस वाज, सचिव

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2022

No. F. 1/DEG-(3)/RR/2019/600.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification number S.O. 3532 published in Part-II Sub-section (i) of section 3, Gazette of India Extraordinary dated 24th September, 1968, and in supersession of the recruitment rules for the post of Principal, College of Art notified vide notification No. F. 9(183)/91-SB/21274 dated 26th September, 1997 and No. F. 9(183)/RR/SB/DTTE/2013/677 dated the 22nd April, 2019 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with prior consultation of UPSC is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Principal, College of Art under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:-(i)** These rules may be calledthe, Department of Training and Technical Education, Principal, College of Art Recruitment Rules, 2022.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix: -** The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached there to, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**: No person,

   (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to any of the said posts:

   Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax:-**Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving:-**Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Annexure-I

1.	Name of the Post.	Principal
2.	No. of Post.	01* (2020) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service (GCS) Group 'A' Gazetted, Non Ministerial.
4.	Level in Pay Matrix.	Level-14 in the Pay Matrix with Entry pay Rs. 144200/- with the special allowance of Rs. 6750/- per month.

5.	Whether selection or non selection post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct recruits	Not Applicable.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Not Applicable
8.	Whether age or educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable.
9.	Period of probation, if any.	Not Applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	100% by Deputation Including Short-Term Contract. Note 1: The term of appointment of the Principal shall be contractual in nature for a period of Five Years and can be extended for one more term depending upon the performance.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Deputation (Including Short Term Contract): Officers under Central Government / State Governments / Union Territory Administrations / Public Sector Undertakings / Recognized Universities or Institutes/ Autonomous Bodies / Statutory Organizations: (A) (I) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre / Department ; OR (II) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a Regular basis in posts in Level 13A1 OR Equivalent in the Parent cadre or Department; AND (B) Possessing the Following Educational qualifications and Experience: (I) Bachelors Degree and Masters Degree in appropriate branch of Fine Art (Applied Art, Painting, Sculpture, Print Making, Visual Communication and Art History) from a recognized University/Institute with first class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree; AND (II) Ph.D. in appropriate discipline (Applied Art, Painting,Sculpture, Print Making, Visual Communication and Art History) from a recognized University/Institute; AND (III) At least two successful Ph.D. guided as supervisor/Co-Supervisor and minimum 8 research publications in SCI journals/UGC/AICTE approved list of journals.

		Experience: (I) Minimum 15 years of experience in teaching/research/industry, out of which at least 3 years shall be at the post equivalent to that of Professor. **Note 1**: If a class/division is not awarded, a minimum of 60 per cent marks in aggregate shall be considered equivalent to 1st class/division. If a Grade point system is adopted, the CGPA will be converted to equivalent marks as below : Grade Point — Equivalent percentage of marks 6.25 — 55 6.75 — 60 7.25 — 65 7.75 — 70 8.25 — 75 **Note 2**: Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceed 58 years as on the closing date of receipt of applications).
12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Not Applicable.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC Necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.05 22:40:38 +05'30'